

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/वो-2/2021 दिनांक 29.09.2021 द्वारा श्री देवेन्द्र कुमार पाठक, प्रधानाचार्य, राउमावि चूली, गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर का स्थानान्तरण राउमावि करनवास, खानुपुर जिला झालावाड़ किया गया था। उक्त आदेश के विरुद्ध देवेन्द्र कुमार पाठक द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 1029/2022 देवेन्द्र कुमार पाठक बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.03.2022 द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष समस्त तथ्यों एवं आधारों का उल्लेख करते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित करने एवं ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को प्रदान किये जाने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के हृदय रोग से पीड़ित होने एवं अपनी विकट पारिवारिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपना पदस्थापन राउमावि मालियों की चौकी, अमरगढ, गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर/वरिष्ठ व्याख्याता समकक्ष प्रधानाचार्य, डाईट, सवाईमाधोपुर/एसीबीईओ-प्रथम, करौली/राउमावि चैनपुर, करौली अथवा राउमावि अतेवा जिला करौली में प्रधानाचार्य अथवा समकक्ष के किसी रिक्त पद पर किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन को राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा-निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी की विकट शारीरिक दशाओं एवं प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उनके अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर अपीलार्थी श्री देवेन्द्र कुमार पाठक के एम. एड. योग्यताधारी होने को मद्देनजर रखते हुए उनका पदस्थापन वरिष्ठ व्याख्याता (समकक्ष प्रधानाचार्य-राउमावि) डाईट, सवाईमाधोपुर किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हों।

(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/अपील/देवेन्द्र पाठक/1029/2022 दिनांक: 01-08-2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा/भरतपुर संभाग, कोटा/भरतपुर।
5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, झालावाड़/सवाईमाधोपुर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक झालावाड़/सवाईमाधोपुर।
7. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
9. प्रधानाचार्य डाईट, सवाईमाधोपुर।
10. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
11. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
12. श्री देवेन्द्र कुमार पाठक, प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
13. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)